बिहार सरकार

समाहरणालय रोहतास

कार्यालय–जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास

निविदा संख्या– 03

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आपदा (बाढ़/सुखाड़) की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2018–19 में रोहतास जिला अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित प्रखण्डों में प्रभावित पशुओं के लिए सुखा चारा (गेहँ का भूसा/नेवारी/कुट्टी) एवं चोकर क्रय के लिए दर एवं आपूर्तिकर्ता के निर्धारण हेतु सीलबन्द दो लिफाफों में निविदा ली जाएगी। एक लिफाफा में तकनीकी एवं दूसरे लिफाफा में वित्तीय निविदा रहेगा। दोनों लिफाफा एक बड़े लिफाफा में बन्द होगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा। निविदा दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशन की तिथि से 07 वें दिन तक (प्रकाशन तिथि सहित) संध्या 05:00 बजे तक जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास के कार्यालय में प्राप्त की जाएगी। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के अगले कार्यदिवस को निविदा खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है, लेकिन उनके अनुपस्थिति में भी प्राप्त निविदा खोलने का कार्य किया जा सकेगा। सुखा चारा यथा गेंहूँ का भूसा एवं कुट्टी (पुआल/नेवारी) एवं चोकर का क्रय आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। आपूर्ति आदेश आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा ही दिया जाएगा एवं भुगतान भी उन्हीं के स्तर से किया जाएगा।

निविदा की तकनीकी शर्तेः–

1. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 5000.00 (पाँच हजार) रूपये मात्र का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट (जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास के पक्ष में) जमा करना अनिवार्य हैं। निविदा संख्या– 02 में जो निविदादाता निविदा में अग्रधन जमा किये हैं। उन्हें पुनः देने की आवश्यकता नहीं हैं।
2. निविदादाता द्वारा आपूर्ति की जानेवाली सूखा चारा यथा गेहूँ भूसा एवं कुट्टी (पुआल/नेवारी) एवं चोकर का अलग–अलग 200–200 ग्राम नमूना के रूप में पारदर्शी प्लास्टिक के थैला में सील बन्द कर निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य हैं।
3. निविदादाता को निविदा के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति देना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को बिहार या बिहार से बाहर काली सूची में दर्ज नही होने एवं निविदा के सभी शर्तें मंजुर होनें का शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा की सामान्य शर्तें :–

1. निविदा में सुखा चारा यथा गेहूँ भूसा एवं कुट्टी (पुआल/नेवारी) एवं चोकर का प्रति क्विंटल दर (आपूर्ति आदेश में अंकित स्थान तक पहुँचाने का परिवहन लागत सहित) अंकित रहना अनिवार्य हैं। उक्त अंकित दर के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि (परिवहन व्यय इत्यादि) देय नहीं होगा।
2. आपूर्त्ति सुखा चारा यथा गेहूँ भूसा एवं कुट्टी (पुआल/नेवारी) एंव चोकर निविदा के साथ जमा किए गए नमूना के अनुरूप नहीं होने पर आपूर्ति नहीं ली जाएगी।
3. आपूर्ति आदेश निर्गत होने के पश्चात अविलम्ब पशु चारा यथा गेहूँ भूसा एवं कुट्टी (पुआल/नेवारी) एंव चोकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएगें। आपूर्ति नही करने पर आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।
4. अनुमोदित दर अगले दर निर्धारण/एक वर्ष (दोनों में से जो पहले हो) तक के लिए प्रभावी मानी जायेगी।
5. आपूर्त्ति आदेश के अनुसार सुखा चारा यथा गेहूँ भूसा एवं कुट्टी (पुआल/नेवारी) एवं चोकर की आपूर्ति करने की सूचना पूर्व में दे देनी होगी।
6. एक से अधिक निविदादाताओं को एक ही दर स्वीकृत होने पर संबंधित पदाधिकारी द्वार किसी भी निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित होगा।
7. जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास को बिना कोई कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. निविदा सूचना के लिए विभागीय वेबसाईट www.ahd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। विशेष जानकारी कार्यालय अवधि में जिला पशुपालन कार्यालय, रोहतास से प्राप्त की जा सकती है।

9/7/18

जिला पशुपालन पदाधिकारी
रोहतास, (सासाराम)

09/07/18

जिला पदाधिकारी
रोहतास, सासाराम